न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 12/2026

श्री विपुल बैरागी निवासी म.न.5 चिन्तांपरा अंकित किराणा स्टोर के पास देवली तहसील देवली जिला टोंक पिन 304001 ——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक **09.04.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आनॅलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 23.12.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:—

विषयः विस्थापित लाभार्थी श्री महादेव बैरागी (RE-1 No- 324) के गृह आवंटन रिकॉर्ड के संबंध में। विवरणः सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निम्नलिखित प्रमाणित प्रतियां प्रदान करें: विस्थापित व्यक्ति श्री महादेव बैरागी (पुत्र श्री गुरुवार बैरागी), जिनका RE-1 फॉर्म नंबर 324 और सीरियल नंबर 38 है, उन्हें वर्ष 1976 में देवली (टोंक) की पुनर्वास कॉलोनी में आवंटित मकान के मूल आवंटन पत्र (Allotment Letter/Sanad) की प्रति। वर्ष 1976 में देवली में बसाए गए 50 विस्थापित परिवारों की 'मास्टर अलॉटमेंट सूची' की प्रमाणित प्रति, जिसमें सीरियल नंबर 38 पर दर्ज विवरण स्पष्ट हो। विभाग यह स्पष्ट करे कि क्या इन सरकारी विस्थापित क्वार्टरों पर किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा 2022 में कराई गई रजिस्ट्री कानूनी रूप से मान्य है, जबकि मूल आवंटन भारत सरकार की पुनर्वास योजना के तहत विस्थापित परिवार के नाम है?

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 176 दिनांक 03.02.2026 व 311 दिनांक 19.02.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 74 दिनांक 13.02.2026 से जवाब प्रति प्रेषित किया है कि अपीलाण्ट द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध अति. कलेक्टर (पुनर्वास) एंव भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना देवली कार्यालय से होने से उनके पत्र कमांक 1250 दिनांक 26.12.2025 से अन्तरित करते हुए पत्र कमांक 1251 दिनांक 26.12.2025 से अपीलान्ट को सूचित किया जा चुका है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति. कलेक्टर (पुनर्वास) एंव भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना देवली के प्रथम अपीलेट अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अपीलान्ट अति. कलेक्टर (पुनर्वास) एंव भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना देवली के प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष

810

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(टीना डाबी)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक